सार्वजनिक सूचना – परिसंपत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) परंतुक के साथ पठित के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद् द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों को बंधक/प्रत्याभूत ऋणदाता को प्रभारित किया गया है, जिसका कब्जा एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जो एक एसेट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी है जो सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। आर्सिल ने वित्तीय परिसंपत्तियों के नीचे उल्लेखित बैंकों/वित्तीय संसाधनों से अधिग्रहण किया है और प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। परिसंपत्तियों को ''जो है जहां है'', ''जो है जैसी है'', और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर नीचे उल्लेखित अनुसूची के अनुसार इसके तहत दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार बेचा जाएगा :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/बैंक का नाम वित्तीय संस्थान	मूल उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	न्यास का नाम	प्रकार/आकार/संपत्ति का प्रकार	कुल बकाया देय रुपये में	अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	आरक्षित मूल्य (रुपये) में	निरीक्षण की दिनांक	नीलामी की दिनांक और समय	कब्जे का प्रकार
1	DELHL18000583, DELHL18000799,DELHL18000629/ एल एण्ड टी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड	विवेक प्रताप सिंह चौहान / बोबी / जाह्नवी इंटरनेशनल	आर्सिल – खुदरा ऋण संविभाग –046 – ए–न्यास	560 वर्ग फुट आवासीय फ्लैट (फ्री होल्ड)	रु. 33,28,255.04/– दि. 01.11.2021	रु. 1,40,000/–	रु. 14,00,000/–	29.11.2021	09.12.2021 समय 1.30 बजे	सांकेतिक

प्रत्याभूत संपत्ति पता : प्रथम तल(पीछे की ओर)(बिना छत अधिकार) प्लॉट सं.278–ए में, स्थित सेक्टर 1 अवासीय कॉलोनी–वैशाली, गाजियाबाद, अ.प्र.–201010

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

1	नीलामी दिनांक	जैसा यहां ऊपर उल्लेखित है	5	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	नीलामी से 2 घंटे पहले उसी दिन
2	बोली जमा करने का स्थान और नीलामी का स्थान	इकाई सं.1008, 11वां तल, वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110 058	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान देय डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे	नई दिल्ली
	शाखा इलाके में कोविड की स्थिति के आधार पर बोलियां ऑनलाइन/व्यक्तिगत रूप से जमा की जा सकती हैं ashish.shahi@arcil.co.in, vikram.tanwar@arcil.co.in		7	नाम जिसके पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार किया जाना है	नाम जैसा कि प्रत्येक संपत्ति के विरूद्ध न्यास कॉलम में दिखाया गया है
3	नीलामी के लिए वेबसाइट	**www.arcil.co.in**	8	निरीक्षण का समय	पूर्वाह्न 10.00 बजे – अपराह्न 05.00 बजे **नोट : कोविड–19 की स्थिति के अनुसार निरीक्षण दिनांक और समय में परिवर्तन हो सकता है।**
4	संपर्क व्यक्ति फोन नम्बर के साथ	श्रीआशिष शाही/विक्रम सिंह 9819143281 / 8860122299			

✲ एक बोलीदाता अपनी मर्जी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी में ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा का लाभ उठा सकता है जो ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पते पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है। ऑनलाइन बोली कंपनी की वेबसाइट पर होगी जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज और विस्तृत नियम और शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती है या इसे ऊपर बताए गए आर्सिल के संबंधित शाखा कार्यालय से भी एकत्र किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि बिक्री बोली दस्तावेज में बताए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी। बिक्री कड़ाई से इस विज्ञापन में शामिल नियमों और शर्तों और निर्धारित बोली/निविदा दस्तावेज के अधीन है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस सूचना को प्रत्याभूत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत सूचना भी माना जाना है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.01.2022

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड **CIN : U65999MH2002PLC134884,**
पंजीकृत कार्यालय : दा रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई–400 028 फोन नं. : 022–6658130 **www.arcil.co.in**
शाखा का पता : इकाई सं.1008, 11वां तल,वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110 0558, फोन : 9289119262–67

स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप,
प्लॉट I-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.)–201304

ई–नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''सरफैसी अधिनियम'' संदर्भित) के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड (इसके पश्चात ''बैंक'' सन्दर्भित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित ब्याज सहित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना तिथि 25.02.2019 जारी की थी और जिसे दो समाचार–पत्रों नामतः बिजिनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) तथा बिजिनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी) में दिनांक 04.03.2019 को प्रकाशित किया गया था।

किन्तु कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण बैंक ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों लॉट I पर 16.04.2021 को तथा लॉट II पर 18.01.2020 को भौतिक कब्जा कर लिया है, जिसकी बिक्री **''जहाँ है जैसे है आधार''**, **''जो है यही है आधार''**, **''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार''** ई–नीलामी के माध्यम से की जायेगी। यदि अपेक्षित हो तो इच्छुक संविदाकार बिक्री के अधिक विवरण/शर्तों के लिए अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत ई–नीलामी द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री। एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि यहाँ वर्णित अचल सम्पत्तियों की बिक्री **''जहाँ है जैसे है आधार''**, **''जो है यही है आधार''**, **''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार''** पर इस सूचना में उल्लिखित तिथि तथा समय पर सार्वजनिक आमन्त्रण/ई–नीलामी के माध्यम से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। इच्छुक संविदाकार बिक्री के अधिक विवरण/शर्तों के लिए यदि आवश्यक समझें तो अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) के नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूत ऋण	आरक्षित मूल्य	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1. कुमार ड्रिंक्स (कर्जदार) 61/13, लक्ष्मण विहार मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) –251001, 2. श्री मुकेश कुमार गर्ग (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानती) 1–जनसठ रोड, गुलशन विहार, अलमासपुर, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.–251002, 3. श्रीमती रजनी गर्ग (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानती) 1–जनसठ रोड, गुलशन विहार, अलमासपुर, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.–251002, 4. कविता गर्ग (बंधककर्ता और जमानती) मकान नंबर 118/10, निरंजनपुर, अंशिका वार्ड नंबर 45, पी.ओ. माजरा देहरादून–248171, 5. रेखा गर्ग (बंधककर्ता और जमानती) 1–जनसठ रोड, गुलशन विहार, अलमासपुर, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.–251002, 6. आदेश कुमार गर्ग (बंधककर्ता और जमानती) मकान नंबर 118/10, निरंजनपुर, अंशिका वार्ड नंबर 45, पीओ माजरा देहरादून– 248171, 7. दिनेश कुमार गर्ग (बंधककर्ता और जमातनी) 1–जनसठ रोड, गुलशन विहार, अलमासपुर, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.–251002	लॉट I: (क) 77.50 वर्ग मीटर की संपत्ति। खसरा नंबर 90/1 एम, मोहल्ला गुलशन विहार, ग्राम अलमासपुर परगना तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित, श्रीमती रजनी गर्ग के नाम पर। उत्तरः श्री मुकेश कुमार गर्ग की संपत्ति, दक्षिणः रास्ता 20 फीट, पश्चिमः श्री आदेश कुमार गर्ग की संपत्ति, पूर्वः श्रीमती मुनेशो का घर। (ख) संपत्ति माप 86.65 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 90/1 एम, मोहल्ला गुलशन विहार, ग्राम अलमासपुर परगना तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित, श्रीमती रेखा गर्ग के नाम पर। उत्तरः श्रीमती मुनेश का घर, दक्षिणः श्री आदेश कुमार गर्ग का घर, पश्चिमः रास्ता 20 फीट, पूर्वः श्री मुकेश कुमार गर्ग का घर (ग) संपत्ति माप 86.65 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 90/1 एम, मोहल्ला गुलशन विहार, ग्राम अलमासपुर परगना तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित, श्री आदेश कुमार गर्ग के नाम पर। उत्तरः श्रीमती रेखा का घर, दक्षिणः रास्ता 20 फीट, पश्चिमः श्री राजकुमार तायल की संपत्ति, पूर्वः श्रीमती रजनी गर्ग की संपत्ति। (घ) सम्पत्ति माप 77.50 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 90/1 एम, मोहल्ला गुलशन विहार, ग्राम अलमासपुर परगना तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित, श्री मुकेश कुमार गर्ग के नाम पर। उत्तरः रास्ता 40 फीट, दक्षिणः श्रीमती रजनी गर्ग का घर. पश्चिमः श्रीमती रेखा गर्ग की संपत्ति, पूर्वः श्री शिव कुमार और श्रीमती सुमन का घर। लॉट II: (क) सम्पत्ति माप 0.1015 हेक्टेयर या 1015 वर्ग मीटर। खसरा नंबर 509, गांव शेरनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग (जनसठ रोड), परगना और तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित। श्री दिनेश कुमार गर्ग के नाम पर, उत्तरः मुकेश गर्ग और आदेश गर्ग की भूमि, दक्षिणः फोजेउद्दीन की भूमि, पश्चिमः चक रोड, पूर्वः फिरोजुद्दीन की भूमि। (ख) सम्पत्ति माप 0.691 हेक्टेयर या 691 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 509, गांव शेरनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग (जनसठ रोड), परगना और तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित, श्री मुकेश कुमार गर्ग और श्री आदेश कुमार गर्ग के नाम पर। उत्तरः राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिणः दिनेश कुमार गर्ग की भूमि, पश्चिमः चक रोड, पूर्वः फिरोजुद्दीन की भूमि। कुल क्षेत्रफल 1706 वर्ग मीटर में से 88.83 वर्ग मीटर कम जो सड़क चौड़ीकरण के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है = 1617.17 वर्ग मीटर। लॉट III: (ए) सम्पत्ति माप 37.73 वर्ग मीटर की संपत्ति। खसरा नं. 796/1, मौजा रसूलपुर, परगना पचवादून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में स्थित, श्रीमती कविता गर्ग के नाम पर, उत्तरः रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिणः श्री मुकेश कुमार की संपत्ति, पश्चिमः श्री दिनेश की संपत्ति, पूर्वः रास्ता 10 फीट चौड़ा। (ख) सम्पत्ति माप 37.73 वर्ग मीटर, खसरा नं. 796/1, मौजा रसूलपुर, तहसील विकास नगर, परगना पचवादून, तहसील विकास नगर जिला देहरादून में स्थित। श्री मुकेश कुमार गर्ग के नाम पर। उत्तरः रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिणः श्री मुकेश कुमार की संपत्ति, पश्चिमः श्री दिनेश की संपत्ति, पूर्वः रास्ता 10 फीट चौड़ा।	31.12.2010 तक रु. 10,83,30,382.53 (रुपये दस करोड़ तिरासी लाख तीस हजार तीन सौ बयासी एवं तिरेपन पैसे मात्र) (इसमें 31.12.2018 तक प्रयुक्त ब्याज शामिल है) तथा भुगतान तक सम्पूर्ण भावी ब्याज और अन्य प्रभार, क्रेडिट, यदि कोई हो, को घटाकर	लॉट-I रु. 1,99,00,000/- ईएमडी : रु. 19.90 लाख लॉट-II रु. 1,46,00,000/- ईएमडी रु. 14.60 लाख लॉट-III रु. 22,50,000/- ईएमडी रु. 2.25 लाख	18.02.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. के बीच 02.02.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. के बीच 02.02.2022 को 1:00 बजे अप. से 2:00 बजे अप. के बीच

मुहरबन्द निविदाएं वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net के माध्यम से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं।

आरक्षित मूल्य	**लॉट I : रु. 1,99,00,000/- (रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख मात्र)** **लॉट II : रु. 1,46,00,000/- (रुपये 1 करोड़ छियालीस लाख मात्र)** **लॉट III : रु. 22,50,000/- (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)**
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	**लॉट I : ईएमडी : रु. 19.90 लाख** **लॉट II : ईएमडी : रु. 14.60 लाख** **लॉट III : ईएमडी : रु. 2.25 लाख**
ईएमडी जमा	**लॉट I के लिए** : डिमाण्ड ड्राफ्ट 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में मुजफ्फर नगर में देय 16.02.2022 को 5.00 बजे अप. तक निम्नलिखित में किसी भी पते पर जमा करनी होगी : एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.) –201304 फोन नंबरः 8130891183 और एक्सिस बैंक लिमिटेड, 17, सिविल लाइन्स (दक्षिण), कोर्ट रोड मुजफ्फर नगर–251001 या अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व परिचर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर। **लॉट II के लिए** : डिमाण्ड ड्राफ्ट 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में मुजफ्फर नगर में देय 31.01.2022 को 5.00 बजे अप. तक निम्नलिखित में किसी भी पते पर जमा करनी होगी : एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.) –201304 फोन नंबरः 8130891183 और एक्सिस बैंक लिमिटेड, 17, सिविल लाइन्स (दक्षिण), कोर्ट रोड मुजफ्फर नगर–251001 या अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व परिचर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर। **लॉट III के लिए** : डिमाण्ड ड्राफ्ट 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में देहरादून में देय 31.01.2022 को 5.00 बजे अप. तक निम्नलिखित में किसी भी पते पर जमा करनी होगी : एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.) –201304 फोन नंबरः 8130891183 और एक्सिस बैंक लिमिटेड, 17, सिविल लाइन्स (दक्षिण), कोर्ट रोड मुजफ्फर नगर–251001 या अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व परिचर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर।
सम्पत्ति का निरीक्षण	**लॉट I के लिए** : अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. +91-8130891183/Subhodip.mukherjee@axisbank.com)) की पूर्व अनुमति से 01.02.2022 से 15.02.2022 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किसी भी कार्यदिवस पर **लॉट II के लिए** : अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. +91-8130891183/Subhodip.mukherjee@axisbank.com)) की पूर्व अनुमति से 21.01.2022 से 29.01.2022 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किसी भी कार्यदिवस पर **लॉट III के लिए** : अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. +91-8130891183/Subhodip.mukherjee@axisbank.com)) की पूर्व अनुमति से 21.01.2022 से 29.01.2022 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किसी भी कार्यदिवस पर
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	**लॉट I के लिए** : 18.02.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. के बीच पांच मिनट के असीमित विस्तार सहित **लॉट II के लिए** : 02.02.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. के बीच पांच मिनट के असीमित विस्तार सहित **लॉट III के लिए** : 02.02.2022 को 1:00 बजे अप. से 2:00 बजे अप. के बीच पांच मिनट के असीमित विस्तार सहित
संविदा वृद्धि राशि	**रु. 1,00,000 / - (रुपये एक लाख मात्र) तथा इसके गुणक में**
बैंक को ज्ञात ऋण भार	**अज्ञात**

नोट : कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से लॉट I के लिए 30 दिनों तथा लॉट II और लॉट III के लिए 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित कुल बकायों के पुनर्भुगतान हेतु लॉट I के लिए 30 दिनों तथा लॉट II और लॉट III के लिए 15 दिनों की सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति को इस सूचना में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार बेच दिया जायेगा।

किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : 8130891183, 8879994525; RecoveryCell.North@axisbank.com, subhodip.mukherjee@axisbank.com

नियम एवं शर्तें : 1. सम्पत्ति की बिक्री बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा की जायेगी। 2. नीलामी बिक्री/संविदा उपर्युक्त तिथियों पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net /साथ ही AuctionTiger mobile app के माध्यम से केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा की जायेगी। 3. यह बिक्री इस सूचना तथा निर्धारित निविदा दस्तावेज में शामिल नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन में की जायेगी। इस बिक्री सूचना के भाग के रूप में बिक्री के नियम एवं शर्तों वाला निविदा दस्तावेज ई–नीलामी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते से अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर लॉट I हेतु 01.02.2022 से 15.02.2022 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच तथा लॉट II तथा लॉट III हेतु 21.01.2022 से 29.01.2022 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच शनिवार, रविवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। 4. सम्पत्ति का निरीक्षण पारस्परिक सहमति से निर्धारित तिथि एवं समय पर किया जा सकेगा। प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकेगा जो बैंक के पास उपलब्ध है। 5. इच्छुक क्रेता द्वारा यहाँ ऊपर उल्लिखित ईएमडी राशि मुजफ्फरनगर/देहरादून में देय 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से यहां ऊपर उल्लिखित पते पर अधिकतम (i) लॉट I हेतु 16.02.2022 को 5.00 बजे अप. (ii) लॉट II हेतु 31.01.2022 को 5.00 बजे अप. (i) लॉट III हेतु 31.01.2022 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जानी है। 6. इच्छुक क्रेता को (i) संविदाकार का पूरा नाम (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर, (iv) ई–मेल पता तथा (v) पते का प्रमाण भी जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट (ईएमडी) के पीछे संविदाकार का पूरा नाम, पता तथा सम्पर्क नं. एवं ई–मेल आईडी लिखी होनी चाहिए। पोर्टल में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप अन्य प्रारूप में जमा संविदाएं विचार योग्य नहीं होंगी। मुहरबन्द लिफाफे में संविदाकार का विवरण (केवाईसी दस्तावेज जैसे फोटो आईडी पहचान–पत्र, पैन कार्ड तथा पते का प्रमाण एवं ई–मेल आईडी) एवं ईएमडी बैंक के कार्यालयी पते–या तो (1) स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर–128, नोएडा (उ.प्र.)–201304 अथवा (2) एक्सिस बैंक लिमिटेड, 17 सिविल लाइन्स (दक्षिण), कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर–251001 पर जमा की जानी है। 7. कृपया ध्यान दें कि इच्छुक क्रेताओं को ई–नीलामी में केवल तभी भाग लेने और बोली की अनुमति दी जायेगी जब दस्तावेजों सहित ईएमडी राशि यहां ऊपर बिन्दु 4 में उल्लिखित रीति से बैंक को प्राप्त होगी। 8. ईएमडी जमा करने के उपरान्त संविदाकार को संविदा प्रपत्र/ईएमडी को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। 9. पात्र संविदाकारों ने जिन्होंने यहां ऊपर बिन्दु 4 में वांछित अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया है उनसे सम्पर्क किया जायेगा और ई–नीलामी पोर्टल में भाग लेने और संविदा जमा करने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया जायेगा। मुहरबन्द संविदाएं केवल https://axisbank.auctiontiger.net/ पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन जमा की जायेंगी। 10. कृपया ध्यान दें कि इच्छुक संविदाकार ई–नीलामी पर मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि., ए–801, वॉल स्ट्रीट–2, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात : 079–40230 810/811/804/; सम्पर्क व्यक्ति : हार्दिक गोस्वामी या आकाश खरे, मोबाइल नं. 9265562821 / 9833398547 / 6351896832 या ई–मेल : maharashtra@Auctiontiger.net / hardik@auctiontiger.net या लैण्डलाइन नं. 079 61200 594 / 598 / 559/ 587 / 554 से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 11. नीलामी वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net पर लॉट I हेतु 18.02.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. के बीच तथा लॉट II हेतु 02.02.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. के बीच और लॉट III हेतु 02.02.2022 को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. के बीच यदि संविदा अन्तिम पांच मिनटों में रखी जाती है तो पांच मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तार सहित ऑनलाइन संचालित होगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे। जो संविदाकार ई–नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जायेगी जो अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी। 12. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी/या सभी प्रस्तावों/संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी बिक्री को स्थगित, आस्थगित या निरस्त करने का अधिकार है। 13. असफल संविदाकार ईएमडी राशि वापस प्राप्त करने के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें जिसे नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उन्हें बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। 14. सफल क्रेता पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद, उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर, बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करेगा, ऐसा नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि [जैसा कि सफल खरीदार और बैंक के बीच सहमति हो, किसी भी मामले में 3 महीने से अधिक नहीं] के भीतर देय है। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, इसे निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा। 15. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) के अनुसार कर्जदार/गारंटर/बंधक को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यदि दिनांक 25.02.2010 की मांग सूचना जिसे बिजिनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) तथा बिजिनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी) में 04.03.2019 को प्रकाशित किया गया था, के अनुसार बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है तो इस सूचना के अनुसार प्रतिभूत/उपरोक्त आस्तियों की बिक्री की जाएगी। 16. वाहन, स्टांप शुल्क, पंजीकरण आदि के सभी शुल्क और यथाप्रयोज्य सभी कर आदि, केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। कोई भी वैधानिक और अन्य बकाया देय तथा संपत्ति पर देय, जिसमें सोसायटी की बकाया राशि शामिल नहीं है, क्रेता को वहन करना होगा। इच्छुक व्यक्ति (व्यक्तियों) को संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति के से संबंधित सभी बकाया/दावों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। 17. सफल संविदाकार को कन्वीएंस के लिए देय प्रभार/शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदि यथाप्रयोज्य कानून के अनुसार वहन करने होंगे। 18. इस सूचना में कुछ भी उपरोक्त संपत्ति/यों को बेचने के लिए बैंक की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है या नहीं माना जाएगा। बैंक / प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या बिना कोई कारण बताए बिक्री को निरस्त कर सकता है और इस तरह के निरस्तीकरण पर बोलीदाता कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। 19. उपर्युक्त बिक्री देयता के अतिरिक्त सभी प्रयोज्य कर, लेवी तथा शुल्क अदा करना सफल संविदाकार का दायित्व हो और बैंक इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा। 20. यह प्रकाशन अग्रिम में उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के लिए लॉट I हेतु तीस दिवसीय तथा लॉट II और लॉट III हेतु पन्द्रह दिवसीय सूचना भी है। 21. बैंक के ऋण और ऊपर उल्लिखित के अतिरिक्त ऋणभार, यदि कोई हो, बैंक के संज्ञान में नहीं है। 22. यदि बिक्री/नीलामी आरक्षित मूल्य से कम की राशि की बोली (बोलियों) के अभाव में स्थगित/विफल हो जाती है, तो बैंक के पास वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसार संपत्ति की बोली लगाने और अधिग्रहण करने का अधिकार सुरक्षित है। 23. सरफैसी अधिनियम के तहत बिक्री प्रमाण पत्र सफल क्रेता के पक्ष में पूरी बोली राशि और अन्य शुल्क यदि कोई हो, के भुगतान के बाद ही निष्पादित किया जाएगा। 24. विशेष निर्देश और सावधानीः संविदाकारों को स्वयं के हित में अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली से बचना चाहिए। न तो एक्सिस बैंक और न सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में विक्रेता के पक्ष से किसी कमी/फेल्योर (इन्टरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी विषम स्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प तैयार रखने का निवेदन किया जाता है ताकि वे ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने में समर्थ हो सकें।

नोट : अधिकृत प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री/नीलामी को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

तिथि : 15.01.2022 **स्थान : मुजफ्फर नगर एवं देहरादून** **अधिकृत प्राधिकारी (एक्सिस बैंक लिमिटेड)**

LVB is now DBS

कालकाजी शाखा

सूचना

अधोवर्णित व्यक्ति को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अपने ऋण खाते में बकाया राशि चुकाने में असफल रहा है। उसको पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थीं, परंतु कर्जदार द्वारा बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतएव कर्जदार से अनुरोध है कि वह उसकी तरफ बकाया राशि और अन्य प्रभार चुकता कर अपनी बंधक प्रतिभूतियां 20.01.2022 को अथवा पहले छुड़ा ले, जिसमें असफल रहने पर बैंक द्वारा उक्त प्रतिभूतियां, एकमात्र बैंक के विवेकानुसार, कर्जदार की लागत पर बैंक के परिसर में दिनांक 21.01.2022 को अप. 01.00 बजे अथवा उसके बाद किसी भी सुविधाजनक तिथि को सार्वजनिक नीलामी में बेच दी जाएंगी, जिसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

क्र. सं.	ऋण सं.	नाम और पता
1.	**0397777000001012**	**श्री महबूब खान** **पता : ए–240, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली–110019**

नोट : बकाया राशि में पार्टी की गोल्ड लोन्स की सभी देयताओं के अलावा किसी अन्य लोन/क्रेडिट सुविधा की देयताएं शामिल होनी चाहिए।

शाखा प्रबंधक
एलवीबी अब डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का अंश है

तिथि : 14.01.2022
स्थान : कालकाजी, नई दिल्ली

एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **विशाल कोचर** के नाम पर पंजीकृत **कजारिया सेरामिक्स लि. जे1/बी1 (एक्सटेंशन) मोहन को-ऑप इंडस्ट्रियल एस्टेट (बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के सामने), मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044** के 1000 शेयरों के शेयर सर्टिफिकेट नं. 312 फोलियो नम्बर 156619355-156620354 गुम हो चुका है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर उक्त शेयर सर्टिफिकेट के संबंध में कोई दावा है, तो उनके द्वारा संबंधित शिकायत इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर कंपनी के समक्ष दर्ज किया जाना चाहिए, तत्पश्चात किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आरम्भ कर देगी।

दिनांक: 15.01.2022

ख़बरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ़्तार
पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम
देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिजनेस खबरें
शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव
प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिंस भाव
कंपनी और जिंस समाचार
कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिंस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार
विविध समाचार
राजनीतिक और आर्थिक समाचार
आयाम
मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें
व्यापार गोष्ठी
हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय
अन्य साप्ताहिक पृष्ठ
हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्टर' और आपका निवेश
अपनी प्रति के लिए
SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in
बिज़नेस स्टैंडर्ड
businessstandardhindi bshindi hindi.business-standard.com

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण,
न्यायालय सं. IV, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
सीए (सीएए)-12 (एनडी)/2021
से संबंधित
कंपनी योजना याचिका (सीएए) सं.-120 (एनडी) ऑफ 2021
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
अधिनियम की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
तथा
निम्नलिखित के बीच समामेलन के संबंध में

होलियोन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
अंतरणकर्त्ता कंपनी/याचिकाकर्त्ता कंपनी-I
(कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 194, भूतल, शॉप नं. 2, टाइप-ए पीकेटी-26, सेक्टर 24, रोहिणी, नई दिल्ली-110085)
तथा

अम्बरनुज फाइनैंस एण्ड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
अंतरिती कंपनी/याचिकाकर्त्ता कंपनी-II
(कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी तथा पंजीकृत कार्यालय शॉप नं. 243, नॉर्थ-एक्स मॉल, सेक्टर 9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085)

याचिका पर सुनवाई की सूचना

अम्बरनुज फाइनैंस एण्ड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी/याचिकाकर्त्ता कंपनी-II) के साथ होलियोन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड अंतरणकर्त्ता कंपनी/याचिकाकर्त्ता (कंपनी-I) के समामेलन की योजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ताओं द्वारा कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के अधीन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के न्यायालय सं. IV, नई दिल्ली पीठ, ब्लॉक नं. 3, भूतल, छठवीं, सातवीं, आठवीं मंजिल, सी. जी. ओ. कॉमप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के समक्ष संयुक्त याचिका 28 जनवरी, 2021 (प्रथम मोशन)/(आदेश की घोषणा 12 फरवरी, 2021 की गई) तथा 24 दिसम्बर, 2021 (द्वितीय मोशन)/(आदेश की घोषणा 31 दिसम्बर, 2021 की गई) को प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी, 2022 की तारीख निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने वाले कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति, अपना अथवा अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ अपना नाम एवं पता का उल्लेख कर पीठ तथा याचिकाकर्त्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास नीचे उल्लेखित पते पर इस तरह भेजें कि वह पीठ तथा याचिकाकर्त्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास उक्त याचिका की सुनवाई की निर्धारित तारीख से पहले पहुंच जाए। अगर वे याचिका का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध के कारण अथवा हलफनामे की एक प्रति उस सूचना के साथ अवश्यक भेजें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की प्रतिलिपि मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा।

हस्ता/-
कंगन जैन
अभ्यासरत कंपनी सचिव
(याचिकाकर्त्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि)
पताः 129, डी-माल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
ईमेलः cskanganjain@gmail.com

दिनांकः 15.01.2022
स्थानः नई दिल्ली

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400051
शाखा कार्यालयः 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
कारपोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLC038137

अचल संपत्ति की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेष कर कर्जदार(ओं), जमानती(ओं) और/या बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि कर्जदार/ओं अर्थात **1. मेसर्स ओंकार प्रसाद अग्रवाल (कर्जदार), 2. श्री रामदास गोयल एचयूएफ (कर्ता अभिषेक गोयल के माध्यम से प्रतिनिधित्व (''प्रोपराईटर/जमानती''), 3. श्रीमती अंजलि गोयल (बंधककर्ता/जमानती) 4. श्री अभिषेक गोयल (बंधककर्ता/जमानती)** से प्रत्याभूत ऋणदाता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को देय **दिनांक 30 सितंबर, 2016 को राशि रु. 6,09,86,047.93/– (रुपये छह करोड़ नौ लाख छियासी हजार सैंतालीस और तिरानवे पैसा मात्र)** को भुगतान/वसूली तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज और अन्य प्रभारों सहित वसूली के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रत्याभूत ऋणदाता'') को बंधक/प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति(ओं) जिसका प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, **''जहाँ है, जो है'', ''जो है, जैसी है'' और ''जो भी है''** आधार पर **3 फरवरी, 2022** को ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी।

नीलामी के लिए रखी अचल संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा और नीलामी समय–सूची निम्नवत् हैः

क्र. सं.	बंधककर्ता/ओं का नाम	ई–नीलामी के लिए रखी अचल/चल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रु.)
1.	श्री अभिषेक गोयल और श्रीमती अंजलि गोयल	डिस्ट्रीक सेन्टर, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज–I, नई दिल्ली स्थित प्लॉट 01ए, माप 5680 वर्ग मीटर पर निर्मित स्टार सिटी मॉल में जगह/ऑफिस/दुकान नं. एफ–17, माप सुपर एरिया 89.18 वर्ग मीटर अर्थात 960 वर्ग फुट, प्रथम तल पर सुपर स्ट्रक्चर, के समस्त भाग व खंड, सभी वर्तमान और भावी अधिकारों, हक, हितों, भोगाधिकार, विशेषाधिकारों, फिटिंग्स, फिक्सरों, कनैक्शनों, कॉमन एरिया (लिफ्ट यदि कोई हो) में अधिकारों, प्रवेशों, रास्तों, सीढ़ियों, वर्तमान और भावी विकास अधिकारों सहित और इसमें अन्य कॉमन सुविधाओं और साधनों सहित। उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नवत् हैंः पूर्वः प्लॉट नं. 1बी, पश्चिमः खुला रोड, उत्तरः प्लॉट–2ए, दक्षिणः पार्किंग/रोड	**रु. 1,05,60,000/–** (रुपये एक करोड़ पाँच लाख साठ हजार मात्र) **रु. 10,56,000/–** (रुपये दस लाख छप्पन हजार मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने विवेक से और संभावी खरीदारों से पूर्व अनुरोध प्राप्ति पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उक्त संपत्ति की दिनांक 24 जनवरी, 2022 को समय अप. 12:00 से अप. 03:00 के बीच निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

महत्त्वपूर्ण निबंधन व शर्तेः

1. ई–नीलामी 3 फरवरी, 2022 को वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net के माध्यम से केवल ''ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक निविदाकरण'' द्वारा आयोजित की जायेगी। ई–नीलामी समय पूर्वा. 11:00 से अप. 12:00 तक प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ की जायेगी।
2. ई–नीलामी के विवरण के लिए इच्छुक निविदाकार मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा– मोबाइल नं. 06351896834, ई–मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नं. 079–61200595/520/548, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी– support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं।
3. इच्छुक निविदाकार नीलामी विवरण और बिक्री के निबंधन व शर्तों के लिए बैंक की अधिकृत वेबसाइट देख सकते हैं– https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए निविदाकारों को सलाह है कि पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखें और उक्त निबंधन व शर्तें निविदाकरण प्रक्रिया में भाग ले रहे निविदाकारों पर बाध्यकारी होंगे।
5. इच्छुक निविदाकार/ओं को सलाह है कि निविदा और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी व पासवर्ड जनरेट कर लें।
   निविदाकार/ओं के केवाईसी दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में भरकर निविदा फॉर्म 2 फरवरी, 2022 समय अप. 4.00 बजे तक या इससे पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर केवल ऑनलाइन जमा/अपलोड करने होंगे और विधिवत् भरे व हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज और निविदाकार/ओं के केवाईसी दस्तावेजों की स्कैण्ड प्रतियाँ vikram.sharma@kotak.com पर ईमेल द्वारा भेजी जाएं। निविदाकर ई–मेल में सब्जेक्ट ''मेसर्स ओंकार प्रसाद अग्रवाल'' के खाते में मयूर विहार संपत्ति की खरीद हेतु'' लिखें।
6. संभावी निविदाकार उपरोक्त संपर्क नंबरों से मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाईगर) से लॉगिन आईडी व पासवर्ड जनरेशन और ऑनलाइन निविदाकरण प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) खाता नं. 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लि., नरिमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोडः KKBK0000958 में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण माध्यम से 2 फरवरी, 2022 समय अप. 4.00 बजे तक या इससे पूर्व जमा की जाए। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई निविदा स्वतः ही अस्वीकार हो जायेगी। प्रस्तावित निविदाकार द्वारा जमा ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं होगी।
8. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या अधिक होना चाहिए और निविदा जमा करने वाले निविदाकार निविदाकरण प्रक्रिया के दौरान (1.) रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे।
9. ई–नीलामी कार्यवाही समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली किए जाने की अवस्था में समाप्ति समय स्वतः और तुरंत और 5 मिनट अवधि के लिए बढ़ जायेगा।
10. सफल निविदाकार को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्ति पर तत्काल या ई–नीलामी के दिन को व्यवसायिक अवधि समाप्त होने की अवस्था में अगले कार्य दिवस को उपर्युक्त निर्धारित मोड से उच्चतम बोली राशि की 25% राशि (पहले ही जमा ईएमडी को शामिल करते हुए) जमा करनी होगी। उच्चतम बोली राशि की शेष 75% राशि सफल निविदाकार को बिक्री की स्वीकृत/पुष्टि दिए जाने की तारीख से 15 दिनों के अंदर या प्राधिकृत अधिकारी के विवेक और सरफासी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी किसी विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी। कृपया नोट करें कि बिक्री राशि के भुगतान हेतु समयावधि में विस्तार नहीं होगा और सफल नीलामी खरीदार किसी भी कारण से निर्धारित समयावधि में भुगतान करने में असफल रहने की अवस्था में अप्रत्याशित घटना दावा करना का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. समस्त नीलामी मूल्य और अन्य प्रासांगिक व्यय की वसूली के तहत उच्चतम निविदाकार के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने तक संपत्ति पर उच्चतम निविदाकार का कोई अधिकार व हक नहीं होगा। बिक्री ई–नीलामी के निबंधन व शर्तों और प्रत्याभूत ऋणदाता की पुष्टि के तहत होगी।
12. यदि सफल निविदाकार समस्त बोली/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल निविदाकार द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त हो जायेगी और चूककर्ता निविदाकार का न तो संपत्ति पर और न ही जमा राशि पर कोई दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति/ओं के नीलामी के संबंध में सरफासी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में समस्त बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, इसके बाद बिक्री पूर्ण हो जायेगी और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड किसी दावे पर विचार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें निविदा जमा की गई है। निविदा में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाणपत्र में अन्य किसी व्यक्ति(ओं) के नाम को शामिल/प्रतिस्थापित करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र की गई नीलामी के लिए सफल निविदाकार/निविदाकार(ओं) को जारी किया जायेगा।
16. असफल निविदा/ओं की ईएमडी राशि 10(दस) दिनों के अंदर और बिना किसी ब्याज के कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
17. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण किसी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदाएँ जमा होने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की अवस्था में निविदाकारों द्वारा जमा ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी और निविदाएँ अस्वीकार होने की अवस्था में प्राधिकृत अधिकारी निजी ट्रीटी द्वारा संपत्ति की बिक्री हेतु किसी निविदाकार या अन्य पार्टियों से मोल–भाव कर सकता है।
18. यहाँ ऊपर दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के पूर्ण ज्ञान में दिए गए हैं, किंतु इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, चूक व भूल के लिए प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता जबावदेह नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि आमंत्रण का अभिप्राय संभावी निविदाकारों को आमंत्रित करना है और नीलामी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या कोटक महिन्द्रा बैंक लि. की ओर से कोई बाध्यता वायदा नहीं करता है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए और बिना किसी जबावदेही के प्रक्रिया को निरस्त या संशोधित करने और/या किसी इच्छुक पार्टी/संभावी निवेशक/निविदाकार को स्वीकार नहीं करने और/या अनअर्ह करने का अधिकार होगा।
19. इच्छुक निविदाकार को सलाह है कि स्थानीय प्राधिकरण देयों अर्थात हस्तांतरण प्रभार/शुल्क सहित नगर निगम कर, अनुरक्षण/सोसाइटी प्रभार, बिजली और जल प्रभार और अन्य कोई देय या कर आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लें। नीलामी की जा रही संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य के किसी प्रभार, अधिकार, भार, या अन्य किसी बकाया के लिए प्राधिकृत अधिकारी या बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक निविदाकार को सलाह है कि सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लें।
20. इच्छुक निविदाकारों को नोट करने की सलाह दी जाती है कि कर्जदार ने बैंक की सरफासी कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन सं. 55/2017 दर्ज किया है। हालांकि, अदालत ने मौजूदा कार्यवाहियों में वादी को कोई राहत देने से मना कर दिया है।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक देय/अन्य देय खरीदार को स्वयं वहन करने होंगे।
22. मौजूदा नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण प्रभारों/शुल्कों सहित सभी व्यय प्रभार जैसे नगर पालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली और पानी प्रभार और अन्य कोई देय या कर केवल नीलामी खरीदार को वहन करने होंगे।
23. सभी अन्य प्रासांगिक प्रभार (मौजूदा नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिभूति प्रभार या रख–रखाव प्रभार तक सीमित नहीं किंतु इन्हें शामिल करते हुए) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से उच्चतम निविदाकार को वहन करने होंगे, जो बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण से पूर्व बैंक को निपटान/प्रतिपूर्ति करने होंगे। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेक भविष्य के लिए बिना कोई मिसाल स्थापित किए कोई न्यायसंगत व तर्कसंगत विलंब छूट के लिए विचारणीय होगा।
24. यदि बिक्री राशि रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) और अधिक है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार बिक्री राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल निविदाकार/खरीदार कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में लागू टीडीएस कटौती करेगा और इसे आयकर विभाग में जमा करेगा और टीडीएस जमा का प्रमाणक चालान व फॉर्म 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को प्रस्तुत करेगा।
25. ई–नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मेसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लि. के माध्यम से यहाँ उल्लिखित निबंधन व शर्तों पर केवल ''जहाँ है, जो है'', ''जो है, जैसी है'' और ''जो भी है'' आधार पर होगी। नीलामी के सभी निबंधन व शर्तें https://kotakbank.auctiontiger.net पर उपलब्ध विस्तृत दस्तावेज में उल्लिखित हैं। हालांकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी निबंधन व शर्त को परिवर्तित या बदलने का विवेकाधिकार होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संपत्ति के लिए अपनी निविदा जमा करने से पूर्व भारों के संबंध में अपनी पूछताछ, संबंधित संपत्ति के संबंध में उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व अभिलेखों और नगर निगम अभिलेखों और अन्य किसी प्रशासनिक अभिलेखों में छानबीन कर लें और संपत्ति के प्रकार और ब्यौरे, स्थिति, ऋण भारों, अधिकारों, प्रभारों, सांविधिक देयों आदि के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लें। कृपया नोट करें कि बैंक/प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता नीलामी के तहत संपत्ति/ओं/परिसंपत्तियों की फिटनेस/हक के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बिक्री/नीलामी पूरी तरह से कोई वापसी नहीं आधार पर होगी।
26. यदि बैंक द्वारा वहन सभी लागतों, प्रभारों व व्यय सहित बैंक की बकाया राशि या इसके किसी भाग जो बैंक को स्वीकार्य हो, कर्जदार/ओं/जमानती/ओं/बंधककर्ता/ओं द्वारा/उनकी ओर से बैंक को बिक्री के लिए निर्धारित तिथि तक या इससे पूर्व जमा करा दिया जाता है तो परिसंपत्ति की नीलामी/ बिक्री निरस्त हो जायेगी।
27. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए किसी भी चरण में किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने यदि अस्वीकार्य पायी जाती हैं, या नीलामी को स्थगित/निरस्त/रोकने या नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
28. लंबित किसी विधिक मामले/चालू अभियोग/निष्कासन नोटिस सहित परिसंपत्तियों का विवरण निविदा दस्तावेज में दिया गया है और नीलामी में भागीदारी से पूर्व अनिवार्य रूप से देख लें। निविदाकार ने बिक्री के निबंधन व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है माना जायेगा और यह उक्त निबंधनों व शर्तों से बाध्य होगी।
29. निविदाकार उचित इंटरनेट कनैक्टीविटी, बिजली बैक अप आदि की समुचित व्यवस्था करें, ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले किसी इंटरनेट कनैक्टीविटी, बिजल गुल, या तकनीकी कारण या कारणों/आकस्मिकताओं के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।
30. बिक्री के लिए संपत्ति/ओं के संबंध में किसी व्यक्ति के किसी दावे के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड या इसका कोई कर्मचारी जवाबदेह नहीं होगा।
31. यह सूचना बैंक की अधिकृत वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड की गई है और इच्छुक पार्टियाँ यहाँ भी इसे देख सकती हैं।
32. अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री सूचना प्रकाशनों के बीच कोई विसंगति होने की अवस्था में स्थानीय भाषा समाचार पत्र के ऊपर अंग्रेजी समाचार पत्र मान्य होगा और इसे ही अंतिम माना जायेगा, इस प्रकार संशय समाप्त होगा।
33. अधिक विवरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नं. +91–9667221449) या बैंक अधिकारी श्री अजय निगम (मोबाइल नं. +91–7291971536) और श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नं. +91–99539–65199) को संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा अद्यतन ब्याज और प्रासंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त राशि का इस सूचना की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पूर्ण देयताओं को जमा करने और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा उपरोक्त निबंधन व शर्तों के अनुसार ''प्रत्याभूत परिसंपत्ति'' (उपरोक्त) की बिक्री की जायेगी।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 12 जनवरी, 2022

प्राधिकृत अधिकारी,
हिते कोटक महिन्द्रा बैंक लि.